मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०१९

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,२२,२१,०३,२०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ बाईस करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार दो सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा				
		राजस्व	०	**५०,१४,००,०००**	५०,१४,००,०००
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	५,००,००,२००	०	५,००,००,२००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	१००	०	१००
०५.	जेल				
		राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०६.	वित्त				
		राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
१०.	वन				
		पूंजी	४००	०	४००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	२००	०	२००
१४.	पशुपालन				
		राजस्व	१००	**७,००,०००**	७,००,१००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
		पूंजी	१,००,००,२००	०	१,००,००,२००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		पूंजी	२००	०	२००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
		राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	३००	०	३००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार				
		राजस्व	५,००,००,४००	०	५,००,००,४००
		पूंजी	१००	०	१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	२००	०	२००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
		राजस्व	३००	०	३००
	योग	**राजस्व** :	७१,००,०१,८००	**५०,२१,००,०००**	१,२१,२१,०१,८००
		पूंजी :	१,००,०१,४००	०	१,००,०१,४००
		वृहद्-योग :	७२,००,०३,२००	**५०,२१,००,०००**	१,२२,२१,०३,२००

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १७ फरवरी, २०१९.

तरुण भनोत
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.